Right to Free Legal Aid

The Constitution of India is premised on multiple fundamentals of which equality and justice are the prominent beacons. The Preamble of our Constitution speaks about three contours of justice i.e. social, economic and political, thus emphasizing its relevance at all times and concomitant to access to justice is the concept of 'welfare state' as envisaged under the Directive Principles of State Policy essentially laying down those cardinal and elemental notions which portray a means to secure equality and justice.

Article 39A is a tool to guarantee the aforesaid idea as this provision is based on the edifice of 'access to justice'. Access, in particular refers to the capability of bringing something within the reach of a person without any hassle and as a matter of right and the importance of making justice accessible cannot be emphasized enough. To make justice accessible, 'legal aid' was realized in early eighty's in India.

During this time, citizens started getting conscious about their rights but due to the poverty and ignorance resulting from British slavery were incapacitated from approaching the courts. The sincere need of providing the marginalized sections with legal aid was then felt and consequently the 'Legal Services Authorities Act' was enacted in 1987 by the Parliament. The objective of the Act is to provide for establishment of such legal services institutions across the country under the aegis of a national level authority.

The poor, downtrodden and backward sections in India suffer from what we can call as 'legal incompetence'. Such people are deprived of a voice which could positively assert his rights and demand them without any hiccups. To be the voice of such unheard voices, legal aid is incredibly helpful and a means of upliftment of such strata of people. Free Legal Aid is a formal embodiment of the substantive conception comprising access to justice. This conception predominantly outlines the right of a person to approach judicial fora for the redressal of his grievances which in turn is secured by legal aid.

Legal Aid primarily encapsulates a mechanism to provide legal assistance at the state expense to the marginalized sections and is spreading 'legal awareness' at a mass level and thus sensitizing the citizens about the existence of stringent legislations and an equally powerful mechanism to enforce those rights. This thought has achieved great heights by bringing in existence 'Lok Adalat', where disputes at pre-litigation stage and even pending cases are resolved amicably, thus creating an impact by recording huge disposals day by day.

Legal Aid emanates from two corners of the Golden Triangle of our Constitution i.e., Article 14 and Article 21 a guarantee of equality before law and right to life and liberty respectively. Hence, justice is made accessible through right to free legal aid which will always deserve a mention because it is a reminder to the downtrodden people of India that they will never be left behind the lurch and will always be given helping hand in times of distress.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on Right to Free Legal Aid.

Credits:

Stamps/FDC/Brochure/ : Shri Brahm Prakash
Cancellation Cachet :
Text : Referenced from the contents provided by the proponent

डाक विभाग
Department of Posts

मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार
Right to Free Legal Aid

विवरणिका BROCHURE

मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार

भारत का संविधान कई बुनियादी बातों पर आधारित है, जिनमें समानता और न्याय प्रमुख आधार स्तंभ हैं। हमारे संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तीन स्वरूपों अर्थात् सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संबंध में उल्लेख किया गया है, उस कारण से इनकी प्रासंगिकता पर हमेशा, हर समय बल दिया जाता है। न्याय के इन तीनों स्वरूपों के माध्यम से न्याय तक पहुंच बनाने के साथ–साथ यह अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत परिकल्पित 'कल्याणकारी राज्य' की संकल्पना की अनिवार्य रूप से आधारशिला है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वास्तव में उन मौलिक एवं तात्विक विचारों का समावेश है जो समानता और न्याय को सुरक्षित करने के साधन को दर्शातें हैं।

अनुच्छेद 39ए उपरोक्त विचार की गारंटी देने का एक साधन है क्योंकि यह प्रावधान 'न्याय तक पहुंच' की संरचना पर आधारित है। यहाँ पहुंच, का विशेष रूप से संदर्भ बिना किसी समस्या के किसी व्यक्ति की पहुंच के अंदर कुछ लाने की क्षमता से है और न्याय को सुलभ बनाने के महत्व तथा अधिकार के रूप में इस पर पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा सकता है। न्याय को सुलभ बनाने के लिए, भारत में अस्सी के दशक की शुरुआत में 'कानूनी सहायता' की शुरुआत की गई ।

इस समय के दौरान, नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने लगे थे लेकिन ब्रिटिश गुलामी से उत्पन्न गरीबी और अज्ञानता के कारण अदालतों का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ, और अशक्त थे। तब समाज के उपेक्षित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने की वास्तविक आवश्यकता महसूस की गई। इसके फलस्वरूप, वर्ष 1987 में संसद द्वारा 'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम' कानून बनाया गया। अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण के तत्वावधान में देश भर में ऐसी कानूनी सेवा संस्थानों की स्थापना मुहैया कराना है।

भारत में गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग, हम जिसे 'कानूनी अभाव' कहते हैं, झेल रहा है। ऐसे लोग एक ऐसी अभिव्यक्ति की आवाज से वंचित हैं जिसके माध्यम से वे अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट एवं दृढ़तापूर्वक कह सकें और बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मांग कर सकें। ऐसी अनसुनी आवाजों की अभिव्यक्ति बनने के लिए, कानूनी सहायता अविश्वसनीय रूप से मददगार है और साथ ही ऐसे पिछड़े वर्ग के उत्थान का माध्यम भी है। मुफ्त कानूनी सहायता, न्याय तक पहुंच की वास्तविक अवधारणा का औपचारिक रूप है। यह अवधारणा मुख्य रूप से एक व्यक्ति को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायिक मंच पर जाने के अधिकार की रूपरेखा प्रदान करती है जो बदले में कानूनी सहायता द्वारा संरक्षित है।

कानूनी सहायता प्रमुख रूप से समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र को समाहित करती है और साथ ही, बड़े पैमाने पर जनसमूह में 'कानूनी जागरूकता' फैला रही है और इस प्रकार से नागरिकों को कड़े कानूनों के अस्तित्व और उन अधिकारों को लागू करने के लिए समान रूप से शक्तिशाली तंत्र के बारे में संवेदनशील बनाती है। इस विचार ने 'लोक अदालत' को अस्तित्व में लाकर उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, जहां पूर्व–मुकदमे के स्तर पर विवाद और यहां तक कि लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है, इस प्रकार दिन–प्रतिदिन बड़ी संख्या में मामलों का निपटान कर परिवर्तन लाया जा रहा है।

कानूनी सहायता, हमारे संविधान के स्वर्ण त्रिभुज के दो कोनों से उत्पन्न होती है, अर्थात् अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो क्रमशः कानून के समक्ष समानता और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। अतः न्याय को मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार के माध्यम से सुगम्य बनाया गया है। यह उल्लेखनीय रहेगा क्योंकि यह भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों को सदा यह एहसास दिलाएगा कि संकट की घड़ी में भी उनका साथ नहीं छोड़ा जाएगा और मदद का हाथ हमेशा मौजूद रहेगा।

डाक विभाग, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार पर स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक–टिकट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका / विरूपण कैशे : श्री ब्रह्म प्रकाश

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सूचना के आधार पर

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक–टिकटें	: 201600
Stamps Printed	: 201600
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्य ₹ 5.00